

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ, जिला-भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी:- नेहा छीपा (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या 97/2025

उनवान

1. मुरलीधर जी स्थान देह जरिये पुजारी ज्योति स्वरूप पाराशर पुत्र सत्यनारायण जाति पाराशर उम्र वयस्क नि० हमीरगढ तह० हमीरगढ जिला भीलवाड़ा।
2. मुरलीधर जी स्थान देह जरिये पुजारी चन्द्रशेखर पाराशर पुत्र सत्यनारायण जाति पाराशर उम्र वयस्क नि० हमीरगढ तह० हमीरगढ जिला भीलवाड़ा।
3. मुरलीधर जी स्थान देह जरिये पुजारी श्री नाथ पाराशर पुत्र सत्यनारायण जाति पाराशर उम्र वयस्क नि० हमीरगढ तह० हमीरगढ जिला भीलवाड़ा।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. उदय लाल पुत्र देवा लाल जाति जाट नि० टापरिया खेडा तह० हमीरगढ जिला भीलवाड़ा(राज.)
2. रतन लाल पुत्र देवा लाल जाति जाट नि० टापरिया खेडा तह० हमीरगढ जिला भीलवाड़ा(राज.)
3. मंजू देवी पुत्री गणेश लाल जाति जाट नि० टापरिया खेडा तह० हमीरगढ जिला भीलवाड़ा(राज.)
4. रतनी देवी पुत्री गणेश लाल जाति जाट नि० टापरिया खेडा तह० हमीरगढ जिला भीलवाड़ा(राज.)
5. उदय लाल पुत्र गणेश लाल जाति जाट नि० टापरिया खेडा तह० हमीरगढ जिला भीलवाड़ा(राज.)
6. जगदीश लाल पुत्र गणेश लाल जाति जाट नि० टापरिया खेडा तह० हमीरगढ जिला भीलवाड़ा(राज.)
7. रूकमा देवी पत्नी गणेश लाल जाति जाट नि० टापरिया खेडा तह० हमीरगढ जिला भीलवाड़ा(राज.)
8. शंकर लाल पुत्र गोपी लाल जाति जाट नि० टापरिया खेडा तह० हमीरगढ जिला भीलवाड़ा(राज.)
9. श्याम लाल पुत्र गोपी लाल जाति जाट नि० टापरिया खेडा तह० हमीरगढ जिला भीलवाड़ा(राज.)
10. सुगना पुत्री गोपी लाल जाति जाट नि० टापरिया खेडा तह० हमीरगढ जिला भीलवाड़ा(राज.)
11. कमला पुत्री गोपी लाल जाति जाट नि० टापरिया खेडा तह० हमीरगढ जिला भीलवाड़ा(राज.)
12. जेतू पत्नी गोपी लाल जाति जाट नि० टापरिया खेडा तह० हमीरगढ जिला भीलवाड़ा(राज.)
13. जमना लाल पुत्र देवी लाल जाति जाट नि० टापरिया खेडा तह० हमीरगढ जिला भीलवाड़ा(राज.)
14. पुष्पा पुत्री देवी लाल जाति जाट नि० टापरिया खेडा तह० हमीरगढ जिला भीलवाड़ा(राज.)
15. मगनी पत्नी देवी लाल जाति जाट नि० टापरिया खेडा तह० हमीरगढ जिला भीलवाड़ा(राज.)
16. भंवर पुत्र बरदा जाति जाट नि० टापरिया खेडा तह० हमीरगढ जिला भीलवाड़ा(राज.)
17. कमला देवी पत्नी शंकर लाल जाति जाट नि० टापरिया खेडा तह० हमीरगढ जिला भीलवाड़ा (राज.)
18. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाड़ा।(राज.)

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक 09-06-2025

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 19.05.2025 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम कीरो की झोपडिया पटवार हल्का हमीरगढ द्वितीय भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र हमीरगढ तहसील हमीरगढ जिला भीलवाड़ा (राज०) के खाता संख्या 173 आराजी नम्बर 926 रकबा 1.8335 हैक्टयर, भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडौसी है प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 20.05.2025 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। विपक्षी संख्या 01 लगायत 17 बावजूद विधिवत प्रक्रियानुसार सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपस्थित नही है। अतः न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वयं के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने



उपखण्ड अधिकारी  
हमीरगढ जिला

का कोई अंदेशा नहीं है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

—:आदेश:—

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हमीरगढ़ को आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम कीरो की झोपडिया पटवार हल्का हमीरगढ़ द्वितीय भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र हमीरगढ़ तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज०) के खाता संख्या 173 आराजी नम्बर 926 रकबा 1.8335 हैक्टर, भूमि स्थित है। जिसकी पत्थरगढी राजस्थान लैंड रेकार्ड नियम 1956 के प्रावधानों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जावे तथा मौका कमिश्नर फीस 1000/-रु० की नियमानुसार अदायगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित कमिश्नर को भुगतान करें।

आदेश आज दिनांक 09.06.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफ़तर रहे।



(नेहा ठीपा)  
उपखण्ड अधिकारी  
हमीरगढ़ (राज०)